

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 10048 / 5267

दिनांक :- 27-02-2020

कार्यालय आदेश

सुश्री गरिमा शर्मा [लिंक न. 10048] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी अलवर को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 25/09/2018 से 28/09/2018 तक 04 दिवस

दिनांक 18/11/2019 से 29/11/2019 तक 12 दिवस

कुल 16 दिवस

उक्त कुल 16 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज सुश्री गरिमा शर्मा की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 10048 / 5267

दिनांक :- 27-02-2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कोषाधिकारी अलवर
3. सुश्री गरिमा शर्मा [लिंक न. 10048] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी अलवर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)